

To,
BSE LIMITED
25TH FLOOR, P J TOWERS,
DALAL STREET,
MUMBAI-400001, MH

Date: 14.11.2022

Scrip Code: 532829

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement for Un-audited Financial Results of the Company for quarter and half yearly ended September 30, 2022 under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

As required under Regulation 47(1)(b) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper advertisement regarding Un-audited Financial Results of the Company for quarter and half yearly ended September 30, 2022 published in following newspapers on November 13, 2022:

- *Financial Express (English)*
- *Business Remedies (Hindi)*
- *Nafa Nuksan (Hindi)*

This is for your information and record.

Thanking You

for Lehar Footwears Limited

RAJ KUMAR AGARWAL
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00127215
Encl. as above



LEHAR FOOTWEARS LIMITED

(Formerly known as Lawreshwar Polymers Limited)

A-243(A), Road No.6, V.K.I. Area, Jaipur (INDIA)

Phone : +91-141-4157777, Fax No. +91-141-4157786

W - www.leharfootwear.com, E.-info@leharfootwear.com •

CIN No. : L19201RJ1994PLC008196

IWE LR Evawave STUDENT PU BLISS + ORTHO RELAX
Cares of Your Feet

LEHAR FOOTWEARS LIMITED

(Formerly Known as Lawshresh Polymers Limited)
REGD OFFICE: A-243(A), ROAD NO.6, V.K.I.AREA, JAIPUR 302013, PHONE:0141-4157777
Website: www.leharfootwear.com, E-mail: info@leharfootwear.com, CIN: L19201RJ1994PLC008196

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended September 30, 2022. Table with columns for Particulars, Quarter Ended (30 Sep '22, 30 Jun '22, 30 Sep '21), Half Year Ended (30 Sep '22, 30 Sep '21), and Year Ended (31 Mar '22).

Notes: (a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Date: 12/11/2022, Place: Jaipur

ZIM LABORATORIES LIMITED

Registered Office : Sadayag Gyan (Ground Floor) Opp. NADT, Nelson Square, Nagpur - 440 013, Maharashtra, India.
CIN : L99999MH1984PLC032172. Website : www.zimlab.in

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2022

Table with columns for Particulars, Quarter Ended (30.09.2022, 30.06.2022, 30.09.2021), Half Year Ended (30.09.2022, 30.09.2021), and Year Ended (31.03.2022).

Notes: 1. Key Standalone financial information of the company is given below:

Table with columns for Particulars, Quarter Ended (30.09.2022, 30.06.2022, 30.09.2021), Half Year Ended (30.09.2022, 30.09.2021), and Year Ended (31.03.2022).

2. The above is an extract of the detailed format of unaudited Standalone and Consolidated results for the quarter and half year ended on 30 September, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Date: 12/11/2022, Place: Toronto, Canada, Dt. 12 November, 2022

BO: HAUZ QAZI BRANCH DELHI-110006

APPENDIX IV [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immoveable property)

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Indian Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 29.07.2022 calling upon the borrower Sh. Parveen Kumar Shankar and Sh. Vikas Kumar Shankar having account with our Hauz Qazi Branch to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 24.97 Lakh in words (Twenty Four Lakh Ninety Seven Thousand Only) and interest thereon from 29.07.2022 till date of repayment within 60 days from the date of said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 9th day of November of the year 2022.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for an amount Rs 26.08 Lakh as on 09.11.2022 with further interest costs, charges and expenses thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Description of the Immoveable Property: Description of property- 6A/58 (Ground Floor), Plot No-58, Block 6-A, Western Extension area, Karol Bagh, Delhi-110005

and bounded by: North : Service Lane South : Road East : Property no-6A/59 West : Property no-6A/57

Date: 09.11.2022, Place: Delhi, Authorised Office Indian Bank

ARUNA HOTELS LIMITED

CIN: L15421TN1960PLC004255
Regd off: Aruna Centre, 145, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai 600034, Ph: 044-2826 3399
Email: directorsaruna@gmail.com | cs@ahln Chennai.com | Website: www.arunahotels.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

Table with columns for Particulars, Quarter Ended (30.09.2022, 30.06.2022, 30.09.2021), Half Year Ended (30.09.2022, 30.09.2021), and Year ended (31.03.2022).

Notes: The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

for Aruna Hotels Limited R Venkateswaran Managing Director DIN: 09532159

Place: Chennai, Date: 12.11.2022

FORM NO. INC-26 (Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules 2014)

Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another

Before the Central Government Northern Region Bench, Delhi

In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

AND In the matter of M/S Aaliyah Real Estates Private Limited having its Registered Office at Corporate One, Ground Floor, Plot No. 5, District Center, Jasola, New Delhi-110025

Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Companies of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on Saturday, 5th day of November 2022, to enable the company to change its Registered Office from 'National Capital Territory of Delhi' to the State of 'Haryana'.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003, within 14 days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at Corporate One, Ground Floor, Plot No. 5, District Center, Jasola, New Delhi-110025 (Present Address).

For Aaliyah Real Estates Private Limited Sd/- Saahil Bhatia (Director) DIN- 00038032

Place: New Delhi, Date: 13/11/2022

ASSOCIATED ALCOHOLS & BREWERIES LTD.

CIN: L15520MP1989PLC049380
Regd Office: 4th Floor, BPK Star Tower, A.B. Road, Indore - 452008 (M.P.)
E-mail: investorrelations@aabl.in Website: www.associatedalcohols.com, Ph. 0731-4780400



Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2022

Table with columns for S. No., Particulars, Quarter Ended (30.09.2022, 30.09.2021), and Year Ended (31.03.2022).

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2022 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For: Associated Alcohols & Breweries Ltd. Sd/- Tushar Bhandari, Whole Time Director DIN: 03583114

Place: Indore, Date: 12.11.2022

FORM NO. INC-26 (Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules 2014)

Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another

Before the Central Government Northern Region Bench, Delhi

In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

AND In the matter of M/S Baani Hospitality Services Private Limited having its Registered Office at Corporate One, Ground Floor, Plot No. 5, District Center, Jasola, New Delhi-110025

Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Companies of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on Saturday, 5th day of November 2022, to enable the company to change its Registered Office from 'National Capital Territory of Delhi' to the State of 'Haryana'.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003, within 14 days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at Corporate One, Ground Floor, Plot No. 5, District Center, Jasola, New Delhi-110025 (Present Address).

For Baani Hospitality Services Private Limited Sd/- Saahil Bhatia (Director) DIN- 00038032

Place: New Delhi, Date: 13/11/2022

LORDS CHLORO ALKALI LIMITED

CIN : L24117RJ1979PLC002099
REGD. OFFICE : SP-460, MATSYA INDUSTRIAL AREA, ALWAR (RAJASTHAN) - 301030
CORPORATE OFFICE : A - 281, FIRST FLOOR, DEFENCE COLONY, NEW DELHI - 110024
Tel. : +91-11-40239034, Email : secretarial@lordschloro.com Web: www.lordschloro.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

Table with columns for Particulars, Quarter ended (30.09.2022, 30.06.2022, 30.09.2021), Half Year ended (30.09.2022, 30.09.2021), and Year ended (31.03.2022).

Notes: 1. The above un-audited financial results have been reviewed and recommended by the audit committee and further considered & approved by the Board of Directors at their meeting held on November 11, 2022.

2. The above financial results have been prepared in accordance with the principles and procedures of Indian Accounting Standards ("Ind AS") as notified under the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2015 as specified in section 133 of Companies Act, 2013.

3. As per Indian Accounting Standards (Ind AS) 108 "Operating Segment", the Company's business falls within a single business segment viz. Chloro alkali sector/production of Caustic Soda.

4. Provision for taxation is made at the effective income tax rates.

5. Figures of the previous period have been re-grouped/ re-arranged and/or recasted wherever required.

For Lords Chloro Alkali Limited Sd/- Ajay Virmani (Managing Director) DIN: 00758726

Place: New Delhi, Date: 11.11.2022

FORM NO. INC-26 (Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules 2014)

Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another

Before the Central Government Northern Region Bench, Delhi

In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

AND In the matter of M/S Bridayon Estate Private Limited having its Registered Office at Corporate One, Ground Floor, Plot No. 5, District Center, Jasola, New Delhi-110025

Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Companies of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on Saturday, 5th day of November 2022, to enable the company to change its Registered Office from 'National Capital Territory of Delhi' to the State of 'Haryana'.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003, within 14 days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at Corporate One, Ground Floor, Plot No. 5, District Center, Jasola, New Delhi-110025 (Present Address).

For Bridayon Estate Private Limited Sd/- Saahil Bhatia (Director) DIN- 00038032

Place: New Delhi, Date: 13/11/2022

MAX HEIGHTS INFRASTRUCTURE LIMITED

SD-65, Tower Apartment, Pitampura, New Delhi-110034, Tel: +91-11- 2731 4646
CIN: L67120DL1981PLC179487 Website: www.maxheights.com; Email: maxinfra1981@gmail.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED & STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

Table with columns for S. No., Particulars, Consolidated (For Quarter ended, For Half Year Ended, For the Year ended), and Standalone (For Quarter ended, For Half Year Ended, For the Year ended).

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Consolidated & Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended on 30th September, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 12/11/2022 and subjected to Limited Review by Statutory Auditors, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

3. The figures of the previous period/year have been regrouped/recast wherever considered necessary, to conform to current year's classification.

4. The Company operates in three segments i.e. Real Estate, Financing and Shares within one geographical region i.e. India.

5. The Limited review as required under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and Related Report does not have any impact on above Results and Notes for the Quarter and Half Year ended 30/09/2022 which needs to be explained and the Auditors have expressed their unqualified opinion.

For MAX HEIGHTS INFRASTRUCTURE LIMITED Sd/- Kajal Goel Company Secretary M. No. - 66838

Place: New Delhi, Date: 12.11.2022

STEL Holdings Limited

CIN: L65993KL1990PLC005811 | Regd. Office : 24/1624, Bristow Road, Willingdon Island, Cochin - 682003, Kerala. Email: secretarial@stelholdings.com, Website : www.stelholdings.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

Table with columns for Particulars, Standalone (Quarter Ended, Half Year Ended, Year Ended), and Consolidated (Quarter Ended, Half Year Ended, Year Ended).

Notes:- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. Previous periods' figures have been regrouped wherever necessary to conform to the classification for the current periods.

3. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 11, 2022. The consolidated financial results for the three months and half year ended September 30, 2022 has been compiled by the management in accordance with Ind AS and have not been subjected to audit.

For and on behalf of the Board of Directors Sd/- Abrahm Iltiyaj (DIN 02717344) Whole-time Director

PANKAJ PIYUSH TRADE & INVESTMENT LIMITED

CIN: L65990DL1982PLC256291
REGD. OFFICE: 314, 3RD FLOOR, OPPOSITE PLOT NO. 39, RG MALL, SECTOR-9, ROHINI, NEW DELHI-110085
WEBSITE: www.pptinvestment.in, EMAIL: info@pptinvestment@gmail.com, PHONE - 011-42804171, 9891442777

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

Table with columns for Sr. no., Particulars, Quarter Ended (30-Sep-22, 30-Jun-22, 30-Sep-21), Half Year ended (30-Sep-22, 30-Sep-21), and Year Ended (31-Mar-22).

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Year ended Financial Results (Standalone & Consolidated) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. The full form of the Quarterly/Half Year ended financial results available on the Stock Exchanges websites i.e. (www.bseindia.com) and also available on the Company's Website www.pptinvestment.com

For Pankaj Piyush Trade & Investment Limited Sd/- Vinod Kumar Bansal Managing Director DIN: 00243709

Place: New Delhi, Date: November 12, 2022

संपादकीय

कॉर्पोरेट कार्य परिणाम दूसरी तिमाही 2022

राजस्व आय वृद्धि के साथ शुद्ध लाभ घटने की संभावना

वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर 2022 के कार्य परिणामों की शुरूआत कॉर्पोरेट क्षेत्र में हो गई है। अब तक करीब 400 कंपनियों के कार्य परिणामों की घोषणा से यही संकेत मिलता है कि कंपनियों के लाभ पर उत्पादन लागत वृद्धि अधिक तेल मूल्य व क्रमोडिटी के साथ मेटल मूल्यों का दबाव बढ़ा है तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र की आय तो बढ़ी है, लेकिन शुद्ध लाभ में कमी देखने को मिली है। देश का बैंकिंग क्षेत्र आवश्यक ही इस समय कुछ हद तक अपवाद की स्थिति में है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की आय में तो दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन शुद्ध लाभ में सिंगल डिजिट का कम लाभ अर्जित किया गया है। निश्चित रूप से कुछ उद्योगों में त्योहारों की मांग के चलते तेजी दर्ज की गई है, लेकिन अधिक मुद्रा प्रसार दर के कारण कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें कमजोरी मांग के स्तर पर दर्ज की गई है। ब्याज दरें बढ़ी हैं, लेकिन हाउसिंग क्षेत्र में अनसोड स्टॉक की बिक्री बढ़ी है। देश के सात प्रमुख शहरों में गत छह माह के दौरान 1.61 लाख इकाइयों की बिक्री हाउसिंग क्षेत्र में दर्ज की गई है जो गत एक दशक का रिकार्ड है। शुद्ध लाभ में कमी और उत्पादन लागत में कच्चे माल की लागत बढ़ने से हुई वृद्धि से यह भी स्पष्ट हो गया है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र अपनी लागत वृद्धि की वसूली उपभोक्ताओं से पूरी तरह नहीं कर पाया है और उन्हें बिक्री उत्पादन बढ़ाने के लिए कम मूल्य पर बिक्री के साथ लाभ से समझौता करना पड़ा है। आलोच्य तिमाही के दौरान घोषित परिणामों के अनुसार राजस्व आय में 20 प्रतिशत के लगभग वृद्धि दर्ज की गई है। इस तरह लगातार सातवीं तिमाही के दौरान दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि शुद्ध लाभ में केवल 5.5 प्रतिशत ही वृद्धि दर्ज की गई है। गत वर्ष की समान तिमाही के दौरान उपरोक्त कंपनियों की राजस्व आय 23.5 प्रतिशत बढ़ी थी तथा लाभ में 22.5 प्रतिशत

वृद्धि दर्ज की गई थी। कॉर्पोरेट क्षेत्र के लाभ में यह कमी निश्चित रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष कर आय को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बिक्री व उत्पादन में वृद्धि से निश्चित रूप से ही देश की जीएसटी आय में निरंतर सुधार देखने को मिलता है। सितंबर के दौरान भी जीएसटी आय लगातार तिमाही के दौरान 1.40 लाख करोड़ रूप से अधिक स्तर पर रही है और आने वाली दिसंबर तिमाही के दौरान त्योहारी मौसम के चलते इसमें और अधिक सुधार देखने को मिल सकता है। कुल कंपनियों का परिचालन लाभ मार्जिन भी घटकर 19.40 प्रतिशत के स्तर पर बढ़ा है, जो गत वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 600 अंक कम है। जहां तक राजस्व आय व कच्चे माल की लागत के अनुपात का प्रश्न है। यह अनुपात 350 अंक बढ़ गया है तथा बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया है, लेकिन वर्तमान दिसंबर तिमाही के दौरान कर्मोडिटी उत्पादों के मूल्य में कुछ कमी आई है। इसके चलते आलोच्य दिसंबर तिमाही के दौरान यह अनुपात कुछ कम आवश्यक हो सकता है। इसके साथ ही लाभ मार्जिन के साथ उत्पादन व राजस्व कर आय में भी आकर्षक वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस तिमाही के दौरान औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के साथ विपणन क्षेत्र की कंपनियों के कार्य परिणाम आकर्षक स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। यही स्थिति शीघ्र ही घोषित होने वाले दूसरी तिमाही के शेष औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के कार्य परिणामों में भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तिमाही के दौरान शेष रहे विनिर्माण क्षेत्र के परिणाम भी आकर्षक स्तर पर रह सकते हैं। अब तक जो परिणाम सामने आए हैं, उनमें अधिकांशतः बैंकिंग व वित्तीय कंपनियों के साथ रिलायंस भी शामिल है। रिलायंस ने और बैंकों ने अच्छे कार्य परिणामों की घोषणा की है। बैंकों के द्वारा पूर्व में ही अधिकांश प्रोवीजन कर दिए गए हैं। अतः अब बैंकों का ब्याज मार्जिन व प्रोवीजन की वसूली से लाभ तेजी से बढ़ा

है, लेकिन दूसरी तिमाही के कार्य परिणामों की संपूर्ण जानकारी भी मध्य नवंबर तक ही देखने को मिल सकेगी। तब तक अधिकांश कंपनियों के कार्य परिणामों की जानकारी मिल जाएगी। दिवाली व उसके बाद के हालात ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि देश में घरेलू मांग कोविड पूर्व की स्थिति से भी अधिक आकर्षक व मजबूत स्तर पर रही है और आज हालात यह बन गए हैं कि अधिक नकद तरलता वाली कंपनियों ने व्यापक स्तर पर अपनी क्षमता विस्तार की कार्य योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से विश्व स्तर पर खराब आर्थिक हालात व कमजोर मांग का भारत के भावी निर्यात पर निकट भविष्य में प्रतिकूल असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो भारत के निर्यात 36 बि. डॉलर प्रतिमाह के औसत स्तर पर बने हुए हैं और निर्यात में 4-5 प्रतिशत की दर में वृद्धि भी हो रही है, लेकिन चुनौती गंभीर है और भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र को निश्चित रूप से निर्यात वृद्धि व व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए कम लाभ मार्जिन पर अधिक निर्यात की नीति पर चलना ही होगा। यही स्थिति भारत की घरेलू मांग के संदर्भ में कही जा सकती है, लेकिन भारतीय कम ब्याज दर के कारण घरेलू मांग में गतिशीलता बरकरार रखने में सफल रहेंगे। यही नहीं बैंकों को भी औद्योगिक व व्यवसाहिक क्षेत्र को पर्याप्त कार्यशील पूंजी भी कम ब्याज दर पर उपलब्ध करनी होगी, ताकि भारतीय उद्योग कम लागत पर घरेलू उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध कर सकें। इसके लिए उच्च कम लाभ के साथ अधिक उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। बैंकों को उचित मूल्य पर कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध करनी होगी। देश में निवेश गतिशीलता को बनाए रखने के लिए भी सकारात्मक नीतिगत प्रयास जारी रखने होंगे। भारत सरकार को निरंतर बुनियादी ढांचगत विकास लॉजिस्टिक सुविधाओं में सुधार के प्रयास जारी रखने होंगे, ताकि कम लागत पर उत्पादन संभव हो सके और घरेलू मांग में गतिशीलता बनाई रखी जा सके।

ठोस प्रमाण के अभाव व गवाह के विरोधाभासी बयानों के कारण बीमा कंपनी की याचिका स्वीकार तथा क्षतिपूर्ति की मांग खारिज

हिमाचल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तल्लोक सिंह चौहान के समक्ष एक याचिका मोटर वाहन कानून की धारा 166 तथा 173 के अंतर्गत उषा ध्राईक व अन्य बनाम हिमाचल बायसा पावर कंपनी लिमिटेड संबंधित प्रकरण में विचारार्थ प्रस्तुत की गई। दुर्घटना में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इसमें कार चालक मालिक की मृत्यु हो गई और उसके परिजनों के पक्ष में ट्रिब्यूनल के द्वारा 1540824 रूपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का निर्णय दिया है। यह दायित्व बीमा कंपनी पर डाला गया, जिसके द्वारा इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती इस याचिका के माध्यम से दी गई है, जबकि क्षतिपूर्ति के आवेदनकर्ता के द्वारा ट्रिब्यूनल आदेश के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि हेतु याचिका भी दायर की गई। इस प्रकरण में तीन पक्ष हैं-क्लेमेंट, ड्राइवर व बीमा कंपनी। क्लेमेंट ने इस संदर्भ में 20 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति का आवेदन किया था, जिसमें स्वर्ण सिंह ध्राईक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मृतक स्वयं अपनी वेगन आर कार से आ रहा था। वह सोलन से रामपुर जा रहा था। रात्रि को 7.30 बजे जब उसकी कार तलाई नौगली पहुंची उसके पीछे से एक ट्रक आया और उसके द्वारा उसको टक्कर मारी गई। इसके कारण उसकी कार क्षतिग्रस्त हुई तथा उसको भी गंभीर चोटें आईं कार ट्रक के साथ 250 मीटर तक घसीटी चली गई। ट्रक का परिचालन ड्राइवर द्वारा अत्यधिक लापरवाही के साथ किया जा रहा था। इस दुर्घटना में घायल अवस्था में कार चालक की मृत्यु हो गई। इसी संदर्भ में एफआईआर दायर की गई। मृतक की आयु 43 वर्ष तथा उसकी मासिक आय 13489 रूपए थी। वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्यरत था। ट्रक मालिक जयप्रकाश एसोसिएट ने इस क्लेम का विरोध किया। उसके द्वारा कहा गया कि क्लेमेंट ने ट्रिब्यूनल के समक्ष सही दावा नहीं किया है। उसके द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है। उसकी मृत्यु उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण हुई है। वह सरकारी कर्मचारी नहीं था। उसके अधिवक्ता ने कहा कि ट्रक का परिचालन लापरवाही पूर्ण नहीं किया जा रहा था। ट्रक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास बीमित है। ट्रक ड्राइवर ने भी प्रथम से आवेदन करके कहा कि वह सावधानी के साथ परिचालन कर रहा था। कार चालक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना घटित हुई है। उसमें शराब नहीं पी रखी थी, जैसा आरोप लगाया गया है। बीमा कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वाहन का परिचालन उचित परमिट के अभाव में किया जा रहा था। ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस भी नहीं था। इस प्रकरण में बीमा पॉलिसी की शर्तों

का उल्लंघन किया गया है। ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों की सुनवाई के पश्चात 1540824 रूपए की क्षतिपूर्ति का आदेश मय 8.50 प्रतिशत ब्याज के साथ क्लेमेंट के पक्ष में दिया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दस्तावेज का अध्ययन करने के साथ उनके पक्ष को सुना, क्लेमेंट पक्ष का स्पष्ट कहना है कि यह दुर्घटना ट्रक परिचालन की लापरवाही के कारण हुई है। ट्रिब्यूनल ने भी इसको स्वीकार किया है। इसके कारण कार 250 फीट तक घसीटी भी गई है। ट्रक के मालिक जय प्रकाश एसोसिएट्स ने अपने उत्तर में कहा कि कार का परिचालन लापरवाही के साथ किया जा रहा था। उसके अधिवक्ता ने कहा कि ट्रक ड्राइवर बहुत सावधानी के साथ ट्रक का परिचालन कर रहा था। बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने क्लेम का विरोध किया। इस प्रकरण में एक चरमदीय नीलम को भी गवाह के रूप में पेश किया गया, उसने अपनी गवाही में कहा कि वह शिमला से रामपुर अपने रिश्तेदार के वाहन से आ रही थी। उसने 7.30 बजे देखा कि कार ट्रक के आगे चल रही थी तथा ट्रक चालक ने ओवर टेक करने के उद्देश्य से कार को टक्कर मारी तथा इसके परिणाम स्वरूप कार सतलज नदी में गिर गई। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को दुर्घटना स्थल से हटाने का कार्य किया। उस स्थान पर अनेक लोग इकट्ठा हो गए थे। वह भी उस स्थान पर रुक गई थी। लोगों ने ट्रक का पीछा किया और उसके ड्राइवर को पकड़ लिया। वह शराब के नशे में था। यह दुर्घटना लापरवाही से परिचालन के कारण हुई थी। एक अन्य गवाह संजीव चौहान ने अपने शपथ पत्र में कहा कि वे जब कार से जा रहे थे तो दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ देखी गई। यह दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था। ऐसा ही बयान गवाह एचसी बक्शी ने भी दिया। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट को एडीजेएम ने भी स्वीकार किया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ट्रक के कोई खरोंच नहीं देखी गई है। संजीव चौहान ने कहा कि दुर्घटना स्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा थी। गवाह संख्या 2 पवन कुमार ने भी कहा कि ट्रक पर किसी प्रकार की दुर्घटना संबंधित निशान खरोंच नहीं देखे गए। एक जानकारी के अनुसार ट्रक की कार से टक्कर नहीं हुई है, उसने शपथ पत्र में यह बात कही। न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा कि इसमें कोई निर्णय लेने से पूर्व गवाह नीलम के स्टेटमेंट पर भी ध्यान देना होगा। गवाह ने बयान में कहा कि वह ऊषा ध्रािक को जानती है। यह जान पहचान 7-8 वर्ष

पुरानी है। वह उसको पड़ोसी भी रही है तथा वह उसके घर पर आती जाती रही है। उसने कहा कि उसको न्यायालय से कोई नोटिस नहीं मिला है तथा वह अपने स्तर पर ही गवाह बनकर आई है। उसने दावा किया वह कार में यात्रा कर रही थी, उसने यह भी नहीं बताया कि ट्रक में क्या माल रखा हुआ था। उसने कहा कि सड़क बहुत चौड़ी थी एक दिन बाद उसको पता लगा कि उसका पड़ोसी कार में यात्रा कर रहा था। उसने कहा कि ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था। बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि ट्रक उससे केवल 4-5 मीटर दूरी पर था तथा ट्रक वेगन आर को ओवर टेक करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने पूर्व में यह कहा था कि ट्रक उससे बहुत दूरी पर था। न्यायालय ने जब गहराई से उसके बयानों का परीक्षण किया तो वह बहुत विरोधाभासी भी देखने को मिला है। उसको यह जानकारी हो गई थी कि यह दुर्घटना उसके पड़ोसी स्वर्ण सिंह के साथ हुई है, लेकिन उसने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। उसका आचरण व्यवहार संदिग्ध रहा है। न्यायालय ने कहा कि जांच के दौरान यह सिद्ध हो चुका है कि ट्रक पर दुर्घटना के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट होता है, अतः यह कहना गलत है कि कार 250 फीट तक घसीटी गई थी। ऐसे कोई निशान सड़क पर भी नहीं देखे गए। ट्रिब्यूनल ने उपरोक्त सभी तथ्यों की अनदेखी की है। न्यायालय ने कहा कि वह सभी तथ्यों की जांच के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचा है कि हिमाचल बायसा पावर कंपनी लिमिटेड का यह ट्रक इस दुर्घटना में शामिल नहीं था। ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिला है कि ट्रक का परिचालन लापरवाही के साथ किया जा रहा था। ऐसे हालात में ट्रक मालिक व बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय ने ठोस गवाहों व प्रमाणों के अभाव में बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत इस याचिका को स्वीकार किया गया एवं क्लेमेंट द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि की मांग को खारिज किया गया।

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी न्याय निर्णय मूल निर्णयों की नकल नहीं हैं। यह निर्णय मूल निर्णयों को पढ़कर पाठकों के हित के प्रकाशित किये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर मूल निर्णय को अवश्य देखें। -संपादक

हेल्थ • सोसायटी • एज्युकेशन

समय की मांग

सरिता तट का पेड़ धन, अक्षय वट सी गाय।
गो सेवा का मर्म तो, बड़भागी ही पाय।।

साभार:- शारदा-नवल डागा

आज का विचार

जितना हो सके स्वदेशी अपनावा
चाहिए।

-अज्ञात

नफा नुकसान

स्वत्वाधिकारी कुशाग्र पब्लिकेशन्स
प्रा. लि. के लिए मुद्रक व प्रकाशक

जितेन्द्र कोठारी द्वारा 52-53,

कल्याण कॉलोनी, मालवीया नगर,
जयपुर-17 (रॉ. ऑफिस) एवं

204, गौरव टॉवर मालवीया नगर,
जयपुर-17 (कार्यालय) से

प्रकाशित एवं कुशाग्र पब्लिकेशन्स
प्रा. लिमिटेड, एसपीएल-4 (ए),

सीतापुर इण्डस्ट्रियल परिसर,
जयपुर से मुद्रित।

सम्पादक: वैभव कोठारी

(पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के
चयन के लिए उत्तरदायी)

फोन: 0141-4011151/52,
0141-3512564

ई-मेल: info@nafanuskan.com

डिस्क्लेमर

नफा नुकसान में प्रकाशित हर प्रकार के कंटेंट के जरिए पाठकों को कारोबारी सगत में हो रहे घटनाक्रमों की जानकारी, विश्लेषण, सूचनाएं आदि देने का प्रयास रहता है। इनमें से कई बात ऐसे से कंटेंट का प्रकाशन भी हो सकता है जो नफा नुकसान के पास उपलब्ध जानकारीयों से मेल नहीं खाता हो व अलग हो। इसलिए नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट के आधार पर अगर कोई कैसा भी निर्णय करता है तो उसकी जिम्मेदारी नफा नुकसान नहीं लेता है। पाठक स्वयं अपने विवेक से ही निर्णय करें ऐसी अपेक्षा की जाती है। नफा नुकसान में जिन विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है उनके बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि नफा नुकसान का किसी भी विज्ञापनदाता से विज्ञापन के अलावा अन्य कोई सरोकार नहीं है और न ही विज्ञापनों में दर्शाई सामग्री का कोई समर्थन नफा नुकसान द्वारा किया जाता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण व दावे के लिए प्रकाशितता ही जिम्मेदार होगा। नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट लेखकों, न्यूज एजेंसी व संपादकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जिनपर पूरी तरह से नफा नुकसान का सर्वाधिकार है। नफा नुकसान में प्रकाशित किसी भी तरह के कंटेंट का किसी भी व्यक्ति, संस्थान या अन्य द्वारा बिना नफा नुकसान की लिखित अनुमति के प्रकाशन व प्रसारण किया जाना गैर-कानूनी होगा।



शिक्षा से व्यक्ति पद पा सकता है लेकिन मान एवं प्रतिष्ठा पाने के लिए संस्कार होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपके साथ शिक्षा एवं संस्कार की स्पष्ट परिभाषा साझा कर रहा हूँ कृपया इस को ध्यान से पढ़ें.... शिक्षा को अरबी में तालीम और अंग्रेजी में Education कहते हैं। Education शब्द लैटिन शब्द Educatum से बना है जिसका मतलब होता है शिक्षण की कला। इसीलिए वर्तमान में Education का मतलब व्यक्ति के अन्दर छिपी हुई समस्त शक्तियों को सामाजिक वातावरण में विकसित करने की कला है। किसी भी प्रकार की कला, भाषा, विज्ञान, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, वास्तु, चित्र, संगीत, नृत्य, नाटक, प्रबंधन आदि का ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा है। इसका उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास है यानी कि नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक और चारित्रिक विकास आदि ताकि हम योग्य, सभ्य, कर्मट, स्वावलंबी (independent) और समर्थ बन सकें। किसी चीज से नसीहत प्राप्त होना भी शिक्षा है, जैसे कि इस घटना से मुझे यह शिक्षा मिली कि हमेशा कुछ न कुछ घटना घटती ही रहती है, इस कहानी से मुझे शिक्षा मिली कि कुछ कहानियाँ बहुत ही बोरिंग होती हैं इत्यादि। किसी को सबक सिखाना भी शिक्षा का ही एक रूप है। जैसे कि- उसे ऐसी शिक्षा दो या ऐसा सबक सिखाओ कि नाना न मरे कि फिर वो ऐसा काम करे, जब तक मैं उसे सबक नहीं सीखा देता, चैन से नहीं बैठूँगा इत्यादि। कुल मिलाकर जो है, उसे पूर्ण रूप में देख पाने की क्षमता का विकास शिक्षा है। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है, 'शुद्धीकरण'। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से था जो

किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते थे, किन्तु हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभीष्ट गुणों को जन्म देना भी था। संस्कार का अभिप्राय उन गुणों से है जो कि समाज में अच्छे व्यक्तियों में होना अपेक्षित है। वर्तमान युग में विडंबना यह है कि व्यक्ति व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करता खाली किताबी शिक्षा ग्रहण करता है। किसी भी तरह तोते की तरह रटकर अच्छे नंबर प्राप्त करता है। ऐसी शिक्षा से अच्छा पद तो मिल जाता है लेकिन अगर व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है एवं वह व्यक्ति संस्कार विहीन है तो उसे मान एवं प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। सद्गुरु संत कबीर ने भी कहा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी कि खाली बड़ा होने से काम नहीं चलता ,जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है यानी परमार्थ के काम करता है उसी को मान एवं प्रतिष्ठा मिलती है। इसलिए शिक्षा के साथ-साथ संस्कार होना भी बहुत जरूरी है यानी कि ऐसी गुणों का होना जरूरी है जिसकी समाज को आवश्यकता है एवं जिन गुणों की समाज में मान्यता है। स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रख्यात वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति मेट्रो के पूर्व चेयरमैन श्रीधरन जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। अगर हम मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शिक्षा के साथ-साथ संस्कारी भी होना चाहिए।

PM Bhardwaj
Management & Motivation
Consultant
Ex CMD Instrumentation
Ltd. & other PSU's
Email: pmb.jaipur@gmail.com

वेद ग्रंथों के मुख्य प्रतीक

1. यज्ञ- यज्ञ शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ वैदिक विचार में पहले से अंतर्निहित है। ऋग्वेद में यज्ञ से ही संसार की उत्पत्ति मानी गई है तथा उसे ही प्रथम धर्म भी माना गया है। विदित है कि यह प्रथम धर्म हमारी संस्कृति में, समाज में, धार्मिक विधि-विधान में, व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक अनुष्ठानों में आज भी किसी न किसी रूप में अयोचित होता है। मनुस्मृति में ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ तथा नृयज्ञ जैसे शब्द स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ समर्पण, संगति और कल्याण का प्रतीक है। मान्यता है कि अनुष्ठान से मनुष्य का जीवन समृद्ध और सुसंस्कृत होता है। उल्लेखनीय है कि कालान्तर में यज्ञ को आर्य धर्म का प्रतीक समझा जाने लगा था। 2. धृत या घी- अग्नि में घी की आहुति डाली जाती है। यज्ञ में दी जाने वाली 'हविता' भी प्रतीकात्मक है। अग्नि में घी की या अन्य पदार्थ की आहुति देकर जो यज्ञ किए जाते हैं, उनसे जो फल प्राप्त होते हैं, वे भी प्रतीकात्मक हैं। 3. गो - ज्ञातव्य है कि बहुत से वैदिक प्रतीक पशु जगत से आये हैं। गो, घोड़े, सोनस, संतान, बल इन सब को यज्ञ का फल कहा गया है। गो शब्द के दो अर्थ हैं-गाय और प्रकाश। वेद मंत्रों में बहुत स्थानों पर गो का भौतिक अर्थ गाय नहीं प्रकाश ही प्रतीक होता है। 4. अश्व- अश्व, बल और गति का प्रतीक है। स्थूल रूप में अश्व का आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। सूर्य के सात घोड़ों की चर्चा वैदिक साहित्य में बहुत बार हुई है। चूंकि अश्व मनुष्य के भौतिक जीवन में उपयोगी था, सम्भवतः इसी कारण वह आध्यात्मिक जीवन में भी प्रतीक बन गया। कहा जा सकता है कि वैदिक यज्ञ के दो मुख्य फल गौओं की सम्पत्ति तथा घोड़ों की सम्पत्ति क्रमशः मानसिक-प्रकाश की समृद्धि और जीवन शक्ति की बहुलता के प्रतीक हैं। 5. श्येन(बाज) - बाज क्षिप्रता यानि वेग का प्रतीक है। इंद्र के संदर्भ में श्येन का वर्णन आता है। श्येन ही स्वर्ग से सोम को लाता है। अश्विनो देवताओं के संदर्भ में तो स्पष्ट कहा गया है-आ श्येनस्य जवसा नूत्नेन अर्थात् श्येन पक्षी के नये वेग से पास आओ। 6. सिंह- सिंह शौर्य का प्रतीक है। अग्नि को बहुत बार सिंह कहा गया है, जो अग्नि की तेजस्विता का प्रतीक ही है। - क्रमशः पीसी चर्मा पूर्व उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर राजस्थान)

ईमानदार कोशिश करें, सफलता मिलकर ही रहेगी : विजय

कोटा/ निजी संवाददाता। मोशन एजुकेशन के सीईओ नितिन विजय व दिल्ली के मशहूर आशु घई ने टॉक शो में सफलता के टिप्स दिए। नितिन विजय और आशु घई ने संयुक्त रूप से विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यदि हम पूरे भरोसे के साथ अपने लक्ष्य को पाने की ईमानदार कोशिश करते हैं तो सफलता मिलकर ही रहती है। बिना थके लगातार कई घंटे कैसे पढ़ें, सवाल के जवाब में बताया कि जब हम किसी काम को प्यार करते हैं तो वह बौद्ध नहीं लगता। उसको करते हुए छुट्टी जैसा ही महसूस होता है। पढ़ाई के मामले में भी यह बात उतनी ही सही है। आप आपने लक्ष्य को



याद रखें, परिवार के संघर्ष को स्मरण करें तो आपको भी पढ़ाई से प्यार हो जाएगा और पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलेगा। वैसे भी सच है कि केवल सलेक्शन ही सफलता की गारंटी नहीं होती। लोग आईआईटी में इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी शिक्षक, लेखक, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, व्यवसायी बनते ही हैं। कार्यक्रम का संचालन अरुण तोमर ने किया। समारोह में मोशन एजुकेशन की डायरेक्टर डॉ. स्वाति विजय भी मौजूद थीं।

लहर फुटवियर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: E-243 (B), रोड नं. 6, तीर्थगढ़ एरिया, जयपुर 302013, फोन: 0141-416777
वेबसाइट: www.leharfootwear.com, ई-मेल: info@leharfootwear.com, लैशॉपिन: +91201811994PL0008196

30 सितम्बर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सार		(रु. लाखों में प्रति अंश को जोड़कर)				
क्र. सं.	विवरण	30.09.2022 (असेचानिर्दिष्ट)	30.06.2022 (असेचानिर्दिष्ट)	30.09.2021 (असेचानिर्दिष्ट)	30.09.2021 (असेचानिर्दिष्ट)	31.03.2022 (असेचानिर्दिष्ट)
1.	परिचालनों से कुल आय	7957.35	3651.39	4897.82	11608.72	8011.48
2.	अवधि के लिए शुद्ध मुनाफा (हानि) (कर, असामान्य तथा/या असाधारण मूल्य से पूर्व)	276.63	38.51	151.62	315.14	252.09
3.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध मुनाफा (हानि) (असामान्य तथा/या असाधारण मूल्य के पश्चात)	276.63	38.51	151.62	315.14	252.09
4.	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध मुनाफा (हानि) (असामान्य तथा/या असाधारण मूल्य के पश्चात)	203.63	28.82	109.99	232.45	183.92
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आमदनी (अवधि के लिए (कर पश्चात) मुनाफा (हानि) शुद्ध तथा अन्य व्यापक आमदनी (कर पश्चात))	203.63	28.82	109.99	232.45	183.92
6.	चुक्रता इन्डिक्स् शेयर पूंजी	1367.88	1367.88	1367.88	1367.88	1367.88
7.	पिछले वर्ष की बेलेंसशीट के अनुसार रिजर्व, तीबेल्युएशन रिजर्व के अलावा	0	0	0	0	3180.08
8.	प्रति शेयर आय (10/- प्रत्येक हेतु) (जारी तथा स्थगित परिचालनों के हेतु) बेसिक: (रुपये में) डायल्यूटेड: (रुपये में)	1.49	0.21	0.8	1.7	1.34
		1.49	0.21	0.8	1.7	1.83

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से लहर फुटवियर्स लिमिटेड

स्थान: जयपुर दिनांक: 12/11/2022

राजकुमार अग्रवाल (प्रबंध निदेशक)